

08.08.2025 वकील प्रार्थी अनुपारथित / न्यायालय  
समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील  
मय प्रार्थी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकील व  
प्रार्थी में से कोई उपारथित नहीं हुआ है। विद्याजा  
प्रार्थी का बड़ अइम पैरवी व अइम शानिरी में  
खारिज किया जाता है।

प्राबला फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर

हो

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा